ध्यक्ष और मुख्य अभियंता को कारण बताओ नोटिस" जारी किया है और उनसे इस नोटिस का जवाब 18 नवम्बर तक देने के लिये कहा गया है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 नवम्बर, 1987 के दिल्ली के हिन्दी दैनिक, नवभारत टाइम्स" मे "पीतमपुरा के सौ मकान खतरे मे" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस मामले का ब्यौरा क्या है और इस संबंध मे न्यायालय द्वारा क्या आदेश जारी किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1987 के सी० डब्ल् नम्बर 3129 मे (डा० तृप्तासूरी बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा अन्य), एक कारण बताओ नोटिस 16-11-87 को दिल्ली विकास प्राधिकरण पर तामील किया गया था । स्वीकृति के लिये मामले की तारीख 18-11-87 निर्धारित की गई थी। नोटिस दिल्ली विकास प्राधिकरण के पैनल वकील को भेज दिया गया था परन्तु दिल्ली उच्च न्यायालय में बार के सदस्य 18-11-87 को हड़ताल पर थे । याचिका कतिपय मकानों के फर्शों/नीवों के बैठने तथा परिणामस्वरूप सीवर लाइन के साथ वाली तथा सामने वाली दीवारो मे दरारे पडने के संबंध में है । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि इस मामले मे न्यायालय का निर्णय उन्हें अभी प्राप्त नही हुआ है

Drinking water to Nainidanda Block of Pauri Garhwal

3892 SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to refer to reply to Unstarred Question 3189 given in the Rajya Sabha on the 21st August, 1987 and state:

(a) what steps Government propose to take regarding regular drinking water supply under Dobriyalsar Samuhik Gram Drinking Water Scheme, Gram Sandali Talli Drinking Water Scheme and Shyalkhatta-Roondalai Drinking Water Scheme to the villages of Nainidanda Block of Pauri Garhwal;

(b) whether it is a fact that the construction of Dobriyalsar Samuhik Gram Drinking Water Scheme has not been done according to its earlier survey/proposal and the construction is not satisfactory from the technical point of view;

(c) whether it is also a fact that the substandard material has been used in the construction of this Scheme and many irregularities have been committed by the officials attached with the scheme;

(d) if so, whether Government propose to set up a team of high officials to check up the misuse of Government fund and irregularities of the officials; and

(e) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) Provision of Drinking Water being a State subject, State Governments are responsible for planning, formulation and execution of all rural water supply schemes. The Government of India, supplements efforts of State Governments by providing financial assistance under the Centrally Sponsored Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP). Measures for providing water supply to its rural areas including villages of Nainidanda block of Pauri Garhwal are taken by the Utter Pradesh Government. Total expenditure on rural water supply schemes under ARWSP and State Minimum Needs Programme (MNP), figures regarding coverage of problem villages and population covered are monitored at the Central level on the basis of reports received from States Detailed monitoring of implementation of individual schemes is not done at Government of India level.

(b) As per report received from the State Government (dated 19-8-87) it has been stated that implementation of the scheme is normal and there have been no obstructions in the execution of this scheme. 90 per cent of the works had been completed by August, 1987 and the scheme is likely to be completed by March, 1988.

(c) No such report has been received by the Central Government As per State Government's report referred to above, there has been no dereliction of duty on the part of anyone connected with execution of work.

(d) and (e) Do not arise

सरकारी विज्ञापनों पर व्यय

@3892–क. **श्री रसीद मसूद : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि सरकारी विज्ञापनों पर खर्च मे वृद्धि हो रही है जैसा कि ओपरेशन रिसर्च ग्रुप की वार्षिक रिपोर्ट-1987 मे बताया गया है ;

(ख) यदि हा, तो इस सबध मे ब्यौरा क्या है, और वर्ष 1986–87 के दौरान सरकार द्वारा विज्ञापनो पर कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(ग) क्या सरकार भविष्य मे जस इस पर खर्च कम करने के लिए उपाय करने का विचार रखती है; यदि हा, तो इस संबंध में क्या योजनाए है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : (क) और (ख) इस सबध मे एक समाचार देखा गया है। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा वर्ष 1986–87 के दौरान विज्ञापनो पर खर्च किया गया व्यय 6,72,56,013 रुपए था। पिछले वर्ष अर्थात् 1985–86 मे खर्च किए गए व्यय की अपेक्षा यह 2,28,14,954 रुपए अधिक है।

@पूर्वत. अताराकित प्रश्न 3321, 8 दिसम्बर, 1987 से स्थानान्तरित।